प्राक्कथन

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ-प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

यह प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों जिनमें निगम कर, आयकर, वेतनेत्तर हित लाभ कर और सम्पत्ति कर शामिल हैं, की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गये हैं और इसे निम्नलिखित क्रम मे व्यवस्थित किया गया है:-

(i) अध्याय I: कर प्रशासन पर;

(ii) अध्याय II: प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के प्रभाव पर और उसके परिणामों के बारे में;

(iii) अध्याय III: निगम कर के निर्धारणों पर हमारे निष्कर्ष;

(iv) अध्याय IV: भाग क में आयकर, भाग ख में वेतनेत्तर हित लाभ कर और भाग ग में सम्पत्ति कर के निर्धारणों पर हमारे निष्कर्ष।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गये मामले 2009-10 के दौरान और पूर्व वर्षों में की गई लेखापरीक्षा के परिणाम हैं जो पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके।